रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 296] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 27, 2017/श्रावण 5, 1939
No. 296] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 27, 2017/SRAVANA 5, 1939

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2017

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति) (बारहवां संशोधन) विनियम, 2017

(वर्ष 2017 का 03)

सं. 5–1/2014–प्र. एवं का.––भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 10 की उप–धारा (1) तथा धारा 36 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2001 (वर्ष 2001 का द्वितीय) में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थातः–

1.(1) इस विनियम को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति) (बारहवां संशोधन) विनियम, 2017 कहा जाएगा।
(2) यह विनियम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगा।
2. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति) (बारहवां संशोधन) विनियम, 2001 (जिन्हें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा जाएगा) के विनियम 3 के उप–विनियम (iii) की तालिका 'क' में, '' ग्रेड/पद'' कॉलम के तहत अधिकारी संवर्ग के तहत 'तकनीकी अधिकारी' प्रविष्टि के पश्चात ''तकनीकी अधिकारी (अभियांत्रिकी)'' का लोप किया जाएगा।
3. मूल विनियम के विनियम 5 में.....
उप–विनियम (i) की तालिका में ''पद का नाम'' कॉलम के तहत ''तकनीकी अधिकारी'' प्रविष्टि के पश्चात ''तकनीकी अधिकारी (अभियांत्रिकी)'' प्रविष्टि का लोप किया जाएगा तथा इस प्रकार लोप की गई प्रविष्टि ''तकनीकी अधिकारी (अभियांत्रिकी)'' के समक्ष, ––
(क) ''भर्ती का तरीका'' कॉलम के तहत प्रविष्टि ''प्रतिनियुक्ति/आमेलन/सीधी भर्ती'' ; और (ख) ''योग्यता और अनुभव'' कॉलम के तहत प्रविष्टि ''अनुसूची–I के यथानुसार'' प्रविष्टि का लोप किया जाएगा ।
4. मूल विनियम के विनियम 14 के उप–विनियम (iii) में की तालिका 'ख' में ''ग्रेड/पद'' कॉलम के तहत कर्मचारी संवर्ग में, प्रविष्टि ''ड्राइवर (विशेष ग्रेड)'' तथा प्रविष्टि ''ड्राइवर (साधारण ग्रेड)'' का लोप किया जाएगा।
5. मूल विनियम के विनियम 16 में ––
(a) उप–विनियम (i) में, तालिका में ''पद का नाम'' कॉलम में, प्रविष्टि ''ड्राइवर (विशेष ग्रेड)'' का लोप किया जाएगा तथा इस प्रकार लोप की गई प्रविष्टि ''ड्राइवर (विशेष ग्रेड)'' के समक्ष, ––

(i) ''भर्ती का तरीका'' कॉलम के तहत प्रविष्टि ''प्रोन्नति'' ; और

(ii) ''योग्यता और अनुभव'' कॉलम के तहत प्रविष्टि ''अनुसूची II के यथानुसार'' प्रविष्टि का लोप किया जाएगा ।

(ख) ड्राइवर (ग्रेड I) के तहत ''भर्ती का तरीका'' कॉलम में ''प्रोन्नति'' प्रविष्टि के स्थान पर ''प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन/ सीधी भर्ती'' को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(ग) ड्राइवर (ग्रेड II) के तहत ''भर्ती का तरीका'' कॉलम में ''प्रोन्नति'' प्रविष्टि के स्थान पर ''प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन/ सीधी भर्ती'' को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(घ) ''पद का नाम'' कॉलम के तहत, प्रविष्टि ''ड्राइवर (साधारण ग्रेड)'' का लोप किया जाएगा तथा इस प्रकार लोप की गई प्रविष्टि ''ड्राइवर (साधारण ग्रेड)'' के पद के समक्ष, ––

(i) ''भर्ती का तरीका'' कॉलम के तहत ''प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन/ सीधी भर्ती'' प्रविष्टि ; और

(ii) ''योग्यता और अनुभव'' कॉलम के तहत प्रविष्टि ''अनुसूची II के यथानुसार'' प्रविष्टि –– का लोप किया जाएगा ।

6. मूल विनियम की अनुसूची I में, ––

(क) शीर्षक ''प्रतिनियुक्ति हेतु योग्यता और अनुभव'' के तहत सचिव के पद के समक्ष ''नियमित आधार पर समकक्ष पद धारण किए हुए हो'', शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा : '' (i) मूल आधार पर एचएजी (संशोधन–पूर्व) में पद धारण किए हुए हों अथवा (ii) जिन्हें अपने संवर्ग में अकार्यात्मक प्रोन्नति (एनएफयू) आधार पर एचएजी प्रदान किया गया हो तथा जिनकी एसएजी में चार वर्षों की नियमित सेवा हो'' ।

(ख) ''पद का नाम'' कॉलम के तहत, प्रविष्टि ''तकनीकी अधिकारी (अभियांत्रिकी)'' का लोप किया जाएगा तथा लोप किए गए ''तकनीकी अधिकारी (अभियांत्रिकी)'' के पद के समक्ष, ––

(i) ''भर्ती का तरीका'' कॉलम के तहत '' प्रतिनियुक्ति/ आमेलन/ सीधी भर्ती'' प्रविष्टि,

(ii) ''सीधी भर्ती हेतु योग्यता और अनुभव'' कॉलम के तहत प्रविष्टि ''इलेक्ट्रॉनिक्स/ दूरसंचार / सूचना प्रौद्योगिकी/ कम्प्यूटर विज्ञान विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अभियांत्रिकी में उपाधि के साथ संगत क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव'' प्रविष्टि, ;

(iii) ''प्रोन्नति हेतु सेवा की अवधि'' कॉलम के तहत प्रविष्टि ''लागू नहीं'' ;

(iv) ''प्रतिनियुक्ति हेतु योग्यता और अनुभव'' कॉलम के तहत '' केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों तथा सांविधिक और स्वायत्त निकायों के अधिकारी, जिन्हें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स/ दूरसंचार/ सूचना प्रौद्योगिकी/ कम्प्यूटर विज्ञान विषय में अभियांत्रिकी विषय में उपाधि प्राप्त हो अथवा (ii) अनुभाग अधिकारी अथवा समकक्ष ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके हों । अधिकारी को कम्प्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान तथा संगत क्षेत्र में अनुभव अवश्य होना चाहिए'' प्रविष्टि; और

(v) ''सीधी भर्ती हेतु आयु'' कॉलम में प्रविष्टि ''तीस वर्ष से अधिक नही हो'' का लोप कर दिया जाएगा ।

7. मूल विनियम की अनुसूची II में, ––

(क) ''पद का नाम'' कॉलम के तहत, प्रविष्टि ''ड्राइवर (विशेष ग्रेड)'' का लोप किया जाएगा तथा लोप की गई प्रविष्टि ''ड्राइवर (विशेष ग्रेड)'' के पद के समक्ष, ––

(i) ''भर्ती का तरीका'' कॉलम के तहत प्रविष्टि ''प्रोन्नति'' ;

(ii) ''सीधी भर्ती हेतु योग्यता और अनुभव'' कॉलम के तहत प्रविष्टि ''लागू नहीं'' ;

(iii) ''प्रोन्नति हेतु सेवा की अवधि/अनुभव'' कॉलम के तहत प्रविष्टि ''2800 रुपए ग्रेड–पे के साथ पे बैंड–I (5200–20200 रुपए) में ड्राइवर (ग्रेड I) में तीन वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके कर्मचारियों के मध्य से प्रोन्नति के माध्यम से'' ;

(iv) ''प्रतिनियुक्ति हेतु योग्यता और अनुभव'' कॉलम के तहत प्रविष्टि ''लागू नहीं'' ; और

(v) ''सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा'' कॉलम के तहत प्रविष्टि ''लागू नहीं'' –– का लोप किया जाएगा ;

(ख) ड्राइवर (ग्रेड I) के पद के समक्ष, ––

(i) ''भर्ती का तरीका'' कॉलम के तहत '' प्रोन्नति'' प्रविष्टि के स्थान पर '' प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन/ सीधी भर्ती'' प्रविष्टि

(ii) ''सीधी भर्ती हेतु योग्यता और अनुभव'' कॉलम के तहत प्रविष्टि ''(i) आठवीं कक्षा उत्तीर्ण की हो, (ii) मोटर कार चलाने हेतु वैध ड्राइविंग लाइसेंस धारक हो, (iii) मोटर–वाहन प्रणाली का ज्ञान (वाहन में छोटी–मोटी खामियों को दूर करने में सक्षम हो) और (iv) बारह वर्ष मोटर कार चलाने का अनुभव हो '' ;

(iii) ''प्रोन्नति हेतु सेवा की अवधि/अनुभव'' कॉलम के तहत प्रविष्टि ''3,050-75-4,590 रुपए के वेतनमान में

ड्राइवर ग्रेड II में नौ वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारियों में से प्रोन्नति के माध्यम से'' ;

(iv) ''प्रतिनियुक्ति हेतु योग्यता और अनुभव'' कॉलम के तहत प्रविष्टि ''ड्राइवर ग्रेड II मे ''नौ वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने वाले अथवा

समकक्ष पद धारण करने वाले केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम तथा सांविधिक तथा स्वायत्त निकायों में कर्मचारी जिनके पास निम्नवत योग्यता हो :–

(i) आठवीं कक्षा उत्तीर्ण की हो, (ii) मोटर कार चलाने हेतु वैध ड्राइविंग लाइसेंस धारक हो, (iii) मोटर–वाहन प्रणाली का ज्ञान (वाहन में छोटी–मोटी गड़बड़ियां दूर करने में सक्षम हो)'' ; और

(v) ''सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा'' कॉलम के तहत प्रविष्टि ''अधिकतम पैतालीस वर्ष '' को प्रतिस्थपित किया जाएगा ।

(ग) ड्राइवर (ग्रेड II), के पद के समक्ष, ––

(i) ''भर्ती का तरीका'' कॉलम के तहत ''प्रोन्नति'' प्रविष्टि के स्थान पर ''प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन/ सीधी भर्ती'' प्रविष्टि ;

(ii) ''सीधी भर्ती हेतु योग्यता और अनुभव'' कॉलम के तहत प्रविष्टि ''(i) आठवीं कक्षा उत्तीर्ण की हो, (ii) मोटर कार चलाने हेतु वैध ड्राइविंग लाइसेंस धारक हो, (iii) मोटर–वाहन प्रणाली का ज्ञान (वाहन में छोटी–मोटी खामियों को दूर करने में सक्षम हो), और (iv) तीन वर्ष का मोटर कार चलाने का अनुभव हो'' ;

(iii) ''प्रोन्नति हेतु सेवा की अवधि/अनुभव'' कॉलम के तहत प्रविष्टि '' निम्न योग्यता रखने वाले परिचारक– ''(i) आठवीं कक्षा उत्तीर्ण की हो, (ii) मोटर कार चलाने हेतु वैध ड्राइविंग लाइसेंस धारक हो, (iii) मोटर–वाहन प्रणाली का ज्ञान (वाहन में छोटी–मोटी खामियों को दूर करने मे सक्षम हो), और (iv) तीन वर्ष मोटर कार चलाने का अनुभव हो'' ;

(iv) ''प्रतिनियुक्ति आधार पर स्थानान्तरण हेतु योग्यता और अनुभव'' कॉलम के तहत प्रविष्टि ''केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों तथा सांविधिक तथा स्वायत्त निकायों के जिन्होंने समकक्ष पद धारण किया हो अथवा समूह 'घ' के कर्मचारी, जिन्हें निम्नवत योग्यता प्राप्त हो :– ''(i) आठवीं कक्षा उत्तीर्ण की हो, (ii) मोटर कार चलाने हेतु वैध ड्राइविंग लाइसेंस धारक हो, (iii) मोटर–वाहन प्रणाली का ज्ञान (वाहन में छोटी–मोटी खामियों को दूर करने में सक्षम हो), और (iv) तीन वर्ष का मोटर कार चलाने का अनुभव हो''; और

(v) ''सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा'' कॉलम के तहत प्रविष्टि ''अधिकतम चालीस वर्ष '' को प्रतिस्थपित किया जाएगा ।

(घ) ''पद का नाम'' कॉलम के तहत, प्रविष्टि ''ड्राइवर (साधारण ग्रेड)'' का लोप किया जाएगा तथा लोप किए गए ''ड्राइवर (साधारण ग्रेड)'' के पद के समक्ष, ––

(i) ''भर्ती का तरीका'' कॉलम के तहत ''प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन/ सीधी भर्ती'' प्रविष्टि ;

(ii) ''सीधी भर्ती हेतु योग्यता और अनुभव'' कॉलम के तहत प्रविष्टि ''(i) आठवीं कक्षा उत्तीर्ण, (ii) मोटर कार चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, (iii) मोटर–वाहन प्रणाली का ज्ञान (वाहन में छोटी मोटी खामियों को दूर करने में सक्षम हो), और (iv) तीन वर्ष मोटर कार चलाने का अनुभव हो '' ;

(iii) ''प्रोन्नति हेतु सेवा की अवधि/अनुभव'' कॉलम के तहत प्रविष्टि – ''(i) आठवीं कक्षा उत्तीर्ण, (ii) मोटर कार चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, (iii) मोटर–वाहन प्रणाली का ज्ञान (वाहन में छोटी–मोटी खामियों को दूर करने में सक्षम हो) और, (iv) तीन वर्ष मोटर कार चलाने का अनुभव हो '' ;

(iv) ''प्रतिनियुक्ति आधार पर स्थानान्तरण हेतु योग्यता और अनुभव'' कॉलम के तहत प्रविष्टि ''केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों तथा सांविधिक तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारी जिन्होनें समकक्ष पद धारण किया हो अथवा समूह 'घ' के कर्मचारी जिन्हें निम्न योग्यता प्राप्त हो '' :–

''(i) आठवीं कक्षा उत्तीर्ण, (ii) मोटर कार चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, (iii) मोटर–वाहन प्रणाली का ज्ञान (वाहन में छोटी–मोटी खामियों को दूर करने में सक्षम हो) और (iv) तीन वर्ष मोटर कार चलाने का अनुभव हो'' ; और

(v) ''सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा'' कॉलम के तहत प्रविष्टि ''चालीस वर्ष से अधिक न हो '' का लोप किया जाएगा ;

(ङ) टिप्पण 4 के पश्चात्, निम्नवत अंतःस्थापित किया जाएगाः–

"टिप्पण 5. – वर्तमान संशोधन, विनियम के तहत पूर्व में किए गए किसी भी कार्य की वैधता पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा'';

8. 'मूल विनियम की अनुसूची III में 'पद का नाम'' कॉलम के तहत, ––

(क) प्रविष्टि ''तकनीकी अधिकारी तथा तकनीकी अधिकारी (अभियांत्रिकी)'' को ''तकनीकी अधिकारी'' से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(ख) प्रविष्टि ''ड्राइवर (विशेष ग्रेड)'' तथा ''ड्राइवर (साधारण ग्रेड)'' का लोप किया जाएगा ।

संजीव कुमार शर्मा, सलाहकार (प्रशासन)

[विज्ञापन–III/4/असा./164/17]

टिप्पणी : मूल विनियम 5–4/2000 (प्र. एवं वि.) दिनांक 15 फरवरी, 2001 द्वारा प्रकाशित हुआ था तथा इसमें तत्पश्चात निम्नलिखित संशोधन किए गये : –

(i) 1–6/2002– प्र. एवं वि. दिनांक 22 जनवरी, 2014

(ii) 5–4/2000– प्र. एवं वि. (खंड I) दिनांक 11 मई, 2004

(iii) 5–4/2000– प्र. एवं वि. (खंड II) दिनांक 17 जून, 2004

(iv) 5–4/2000– प्र. एवं का. (खंड II) दिनांक 10 मई, 2005

(v) 5–4/2000– प्र. एवं का. (खंड II) दिनांक 26 मई, 2006

(vi) 5–4/2000– प्र. एवं का. (खंड II) दिनांक 09 अक्तूबर, 2006

(vii) 5–4/2000– प्र. एवं का. दिनांक 31 दिसम्बर, 2008

(viii) 5–4/2005– प्र. एवं का. दिनांक 20 मार्च, 2009

(ix) 5–4/2000– प्र. एवं का. दिनांक 23 अप्रैल, 2010

(x) 5–4/2000– प्र. एवं का. दिनांक 14 जुलाई, 2010

(xi) 5–1/2014– प्र. एवं का. दिनांक 08 जून, 2016

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2017

THE TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA (OFFICERS AND STAFF APPOINTMENT) (TWELFTH AMENDMENT) REGULATION, 2017

(No. 3 of 2017)

No. 5-1/2014–A&P.—In exercise of the powers conferred by section 36, read with sub-section (1) of section 10, of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulation further to amend the Telecom Regulatory Authority of India (Officers and Staff Appointment) Regulation, 2001 (2 of 2001), namely:—

1.(1) This regulation may be called the Telecom Regulatory Authority of India (Officers and Staff Appointment) (Twelfth Amendment) Regulation, 2017.
(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
2. In regulation 3 of the Telecom Regulatory Authority of India (Officers and Staff Appointment) Regulation, 2001 (hereinafter referred to as the principal regulation), in sub-regulation (iii), in the Table A. Officers' Cadre, under column "Grade/post", the entry "Technical Officer (Engineering)" shall be deleted.
3. In regulation 5 of the principal regulation, in sub-regulation (i), in the Table, under column "Name of the Post", the entry "Technical Officer (Engineering)" shall be deleted and against the post "Technical Officer (Engineering)" so deleted,---
(a) under column "Mode of recruitment", the entry "Deputation/Absorption/Direct Recruitment"; and (b) under column "Qualification/Experience", the entry "As in Schedule I"--- shall be deleted;
4. In regulation 14 of the principal regulation, in sub-regulation (iii), in the Table B. Staff Cadre, under column "Grade/post", the entry "Driver (Special Grade)" and the entry "Driver (Ordinary Grade)" shall be deleted.
5. In regulation 16 of the principal regulation, ---
(a) in sub-regulation (i), in the Table, under column "Name of the Post", the entry "Driver (Special Grade)" shall be deleted and against the post "Driver (Special Grade)" so deleted,---
(i) under column "Mode of recruitment", the entry "Promotion"; and (ii) under column "Qualification/Experience", the entry "As in Schedule II"--- shall be deleted;

(b) against the post of Driver (Grade I), in the column “Mode of recruitment”, for the entry “Promotion”, the entry “Promotion/Deputation/Absorption/Direct Recruitment” shall be substituted
(c) against the post of Driver (Grade II), in the column “Mode of recruitment”, for the entry “Promotion”, the entry “Promotion/Deputation/Absorption/Direct Recruitment” shall be substituted;
(d) under column “Name of the Post”, the entry “Driver (Ordinary Grade)” shall be deleted and against the post “Driver (Ordinary Grade)” so deleted,---
(i) under column “Mode of recruitment”, the entry “Promotion/Deputation/Absorption/Direct Recruitment”; and (ii) under column “Qualification/Experience”, the entry “As in Schedule II”--- shall be deleted.
6. In Schedule I to the principal regulation,---
(a) against the post of Secretary, under the heading “Qualification and experience for deputation”, for the words “holding equivalent post on regular basis”, the words “(i) holding post in the HAG (pre-revised) on substantive basis or (ii) who have been granted HAG (pre-revised) in their cadre on non-functional upgradation (NFU) basis and having four years regular service in the SAG” shall be substituted;
(b) under column “Name of Post”, the entry “Technical Officer (Engineering)” shall be deleted and against the post “Technical Officer (Engineering)” so deleted, ---
(i) under column “Mode of recruitment”, the entry “Deputation/Absorption/Direct Recruitment”; (ii) under column “Qualification & experience for Direct Recruit”, the entry “Engineering degree in Electronics/ Telecommunication/ Information Technology/Computer Science from a recognized University/Institutions, with three years experience in the relevant field.”; (iii) under column “Length of service for promotion”, the entry “Not Applicable”; (iv) under column “Qualification and experience for deputation”, the entry “Officers of the Central Government, Public Sector Undertakings and Statutory and Autonomous Bodies with Engineering degree in Electronics/ Telecommunication/Information Technology/Computer Science from a recognized University/Institutions, (i) holding equivalent post or (ii) with three years of regular service in grade of Section Officer or equivalent. The officer must possess the working knowledge of computer.”; and (v) under column “Age for Direct Recruit”, the entry “Not exceeding thirty years”--- shall be deleted;
7. In Schedule II to the principal regulation,---
(a) under column “Name of Post”, the entry “Driver (Special Grade)” shall be deleted and against the post “Driver (Special Grade)” so deleted,---
(i) under column “Mode of recruitment”, the entry “Promotion”; (ii) under column “Qualification & experience for Direct Recruit”, the entry “Not Applicable”; (iii) under column “Length of service for promotion/experience”, the entry “Promotion from amongst the officials with three years of regular service in the Driver Grade II in pay band-I (Rs. 5200-20200) with Grade Pay of Rs. 2800.”; (iv) under column “Qualification & experience for transfer on deputation”, the entry “Not Applicable”; and (v) under column “Age for Direct Recruit”, the entry “Not Applicable”--- shall be deleted;
(b) against the post of Driver (Grade I),---
(i) under column “Mode of Recruitment”, for the entry “Promotion/”, the entry “Promotion/Deputation/ Absorption/Direct Recruitment”; (ii) under column “Qualification & experience for Direct Recruit”, the entry “(i) 8th Pass, (ii) Possessing a valid driving licence for motor cars, (iii) Knowledge of motor mechanism (should be able to remove minor defects in vehicles), (iv) experience of driving of motor cars for twelve years.”; (iii) under column “Length of service for promotion/experience” the entry “Promotion from amongst the officials with nine years of regular service in the Driver Grade-II in the pay scale of Rs. 3,050-75-4,590.”; (iv) under column “Qualification and experience for deputation”, the entry “Officials of the Central Government,

Public Sector Undertakings and Statutory and Autonomous Bodies holding equivalent post or with nine years of regular service as Driver Grade-II who possess the following qualifications:- (i) Pass in 8th Standard (ii) possessing a valid driving licence for motor cars (iii) knowledge of motor mechanism (should be able to remove minor defects in vehicles)"; and

(v) under column "Age for Direct Recruit", the entry "Not exceeding 45 years",

shall be substituted;

(c) against the post of Driver (Grade II),---

(i) under column "Mode of Recruitment", for the entry "Promotion/", the entry "Promotion/Deputation/ Absorption/Direct Recruitment";

(ii) under column "Qualification & experience for Direct Recruit", the entry "(i) 8th Pass, (ii) Possessing a valid driving licence for motor cars, (iii) Knowledge of motor mechanism (should be able to remove minor defects in vehicles), (iv) experience of driving of motor cars for three years.";

(iii) under column "Length of service for promotion/experience" the entry "Attendant who possesses the following– (i) pass in 8th Standard, (ii) possessing a valid driving licence for motor cars, (iii) knowledge of motor mechanism (should be able to remove minor defects in vehicles) and (iv) experience of driving of motor cars for three years.";

(iv) under column "Qualification and experience for transfer on deputation", the entry "Officials of the Central Government, Public Sector Undertakings and Statutory and Autonomous Bodies holding equivalent post or with 9 years of regular service as Driver Grade-II who possess the following qualifications:- (i) Pass in 8th Standard (ii) possessing a valid driving licence for motor cars (iii) knowledge of motor mechanism (should be able to remove minor defects in vehicles)"; and

(v) under column "Age for Direct Recruit", the entry "Not exceeding 40 years",

shall be substituted;

(d) under column "Name of Post", the entry "Driver (Ordinary Grade)" shall be deleted and against the post "Driver (Ordinary Grade)" so deleted,---

(i) under column "Mode of Recruitment", the entry "Promotion/Deputation/Absorption/Direct Recruitment";

(ii) under column "Qualification & experience for Direct Recruit", the entry "(i) 8th pass, (ii) possessing a valid driving licence for motor cars, (iii) knowledge of motor mechanism (should be able to remove minor defects in vehicles) and (iv) experience of driving of motor cars for three years";

(iii) under column "Length of service for promotion/experience", the entry "Attendant who possesses the following– (i) pass in 8th Standard, (ii) possessing a valid driving licence for motor cars, (iii) knowledge of motor mechanism (should be able to remove minor defects in vehicles) and (iv) experience of driving of motor cars for three years";

(iv) under column "Qualification and experience for transfer on deputation", the entry "Officials of the Central Government, Public Sector Undertakings and Statutory and Autonomous Bodies holding equivalent post or Attendant/ Group D employee who possesses the following–

(i) pass in 8th Standard, (ii) possessing a valid driving licence for motor cars, (iii) knowledge of motor mechanism (should be able to remove minor defects in vehicles) and (iv) experience of driving of motor cars for three years."; and

(v) under column "Age for Direct Recruit", the entry "Not exceeding forty years",

shall be deleted.

(e) after the Note 4 occurring at the end, the following shall be inserted, namely:—

"Note 5. – The present modification shall be without prejudice to the validity of anything previously done under the Regulation."

8. In Schedule III to the principal regulation, under column "Name of the Post",—

(a) for the entry "Technical Officer & Technical Officer (Engineering)", the entry "Technical Officer" shall be substituted;

(b) the entry "Driver (Special Grade) and the entry "Driver (Ordinary Grade)" shall be deleted.

SANJEEV KUMAR SHARMA, Advisor (Admin.)

[ADVT.-III/4/Exty./164/17]

Note : The principal regulations were published vide no.5-4/2000 (A&L) dated 15th February 2001 and amended vide

- (i) 1-6/2002-A&L dated 22nd January, 2004
- (ii) 5-4/2000-A&L (Vol.I) dated 11th May, 2004
- (iii) 5-4/2000-A&L (Vol.II) dated 17th June, 2004
- (iv) 5-4/2000-A&P (Vol.II) dated 10th May, 2005
- (v) 5-4/2000-A&P (Vol.II) dated 26th May, 2006
- (vi) 5-4/2000-A&P (Vol.II) dated 9th October, 2006
- (vii) 5-4/2000-A&P dated 31st December, 2008
- (viii) 5-4/2005-A&P dated 20th March, 2009
- (ix) 5-4/2000-A&P dated 23rd April, 2010
- (x) 5-4/2000-A&P dated 14th July, 2010
- (xi) 5-1/2014–A&P dated 8th June 2016

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.07.27 22:21:41 +05'30'

Uploaded by Dte.of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.